राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (क) (ओ–125) अलेसे–I/ 1171 दिनांक :– 12/11/2025

आदेश

श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नं. 3745) का विभागीय आदेश संख्या 168/2024–25 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से कार्यालय संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में किया गया था। विभागीय स्तर से समय–समय पर जारी आदेशों के उपरान्त भी श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की गई है। श्री शर्मा द्वारा राज्यादेशों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। प्रकरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियम 13 के अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नं. 3745) को आज दिनांक 12.11.2025 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए मुख्यालय कोषालय, टोंक किया जाता है।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.2 (क) (ओ–125) अलेसे–I/ 1171 दिनांक :– 12/11/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, को पालनार्थ।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. रक्षित/ निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)